न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी – संजय शर्मा

G.C.M.S. No. 2023/97

अपील संख्या 55/2024 तारीख 10.10.2024

1. अहसान पुत्र कबीर खान जरिये अध्यक्ष मदरसा, इस्लामियां दरसगाह संस्थान, जेतपुर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

––– अपीलान्ट

बनाम

1. रिजवान पुत्र इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
2. रब्बानी पुत्र इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
3. कुतबुददीन पुत्र इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
4. मुकतदीर पुत्र इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
5. यकीन पुत्री इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
6. मोकीन पुत्री इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
7. फेमीदा पुत्री इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
8. माफिया पुत्री इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
9. गोलिस्ता पुत्री इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
10. माहिरा पुत्री इनायत खां मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
11. लाईका बानो पत्नि रब्बानी खांन मुसलमान निवासी ग्राम छान तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर
12. सरकार लैण्ड होल्डर तहसील खण्डार जिला सवाई माधोपुर

–––– रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः–

श्री श्याम मोहन शर्मा एडवोकेट	–	अपीलान्ट की ओर से
पैरोकार सरकार	–	रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से

निर्णय दिनांक 25.03.2026

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 19.01.2021 क्रम संख्या 5 पर आराजी ख0नं0 1569/19 स्थित ग्राम छान की गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई एवं नामान्तरकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.2021 स्थित ग्राम छाण तहसील खण्डार के विरूद्व प्रस्तुत की गयी जिसके द्वारा तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश 19.01.2021 संदर्भित ख0नं0 1569/19 रकबा 2 बीघा तहसीलदार खण्डार एवं उक्त अपीलाधीन आदेश के परिपेक्ष्य में खोला गया नामान्तरकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.21 आराजी ख0नं0 569/19 रकबा 2 बीघा स्थित ग्राम छान निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर ... की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 की जरिये तहसीलदार नोटिस तलबी कराई गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

लगा. 11 की नोटिस लेने से इन्कार की टिप्पणी के साथ नोटिस वापिस प्राप्त हुए। बावजूद तामील आदिनांक तक उपस्थित नहीं होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश संबंधी मूल नामान्तरकरण तलब किया गया। मूल नामान्तरकरण प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने लिखित बहस पेश कर निवेदन किया कि अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.01.2021 न्यायालय तहसीलदार (भू0अ0) तहसील खण्डार क्रम संख्या 5 पर आराजी ख0नं0 1569/19 स्थित ग्राम छान की गैर खातेदारी से खातेदारी दी गई एवं विरूद्ध नामान्तकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.2021 स्थित ग्राम छाण तहसील खण्डार के विरूद्ध न्यायालय में अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.01.2021 तहसीलदार खण्डार एवं उक्त आदेश के परिपेक्ष्य में खोला गया नामान्तकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.21 रूयेदाद मिसल एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों से परे होने से निरस्तनीय है। तहत न्यायालय ने उपरोक्त अपीलाधीन निर्णय जल्दबाजी में बिना मौका कब्जा जांच किये उपरोक्त अपीलाधीन आदेश रेस्पोडेन्ट के कब्जे के अभाव में साज कर पारित किया है नामान्तकरण नियमों की कोई पालना नहीं की गई है। वास्तविकता यह है कि इनायत पुत्र नूर खां को विधि विरूद्ध तरीके से दिनांक 30.06.99 को ग्राम छाण में आराजी ख0नं0 19/1334 में 2 बीघा भूमि आवंटन नियमों के विपरीत आंवटित की थी तथा आराजी ख0नं0 19/1334 को नामान्तकरण संख्या 1761 के द्वारा सिवायचक से इनायत पुत्र नूर खां के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर दिया गया। तत्पश्चात् इनायत खां पुत्र नूर खां की मृत्यु हो गयी तथा नामान्तकरण संख्या 3124 दिनांक 20.06.2019 को विरासत का नामान्तकरण रेस्पो0 सं0 1 लगायत 10 के नाम जो इनायत खां के पुत्र व पुत्री है के नाम तस्दीक कर दिया गया तथा राजस्व रिकार्ड में दर्ज ख0नं0 1569/19 स्थित ग्राम छाण पर दर्ज कर दिया गया तथा दिनांक 05.08.21 को नामान्तकरण संख्या 3269 को इनायत खां के वारिसान द्वारा उक्त भूमि का बेचान लाईका बानो पत्नी रब्बानी खान के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल कर दिया गया। तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश 19.01.2021 पूर्णतया कानूनी प्रावधानो के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश व नामान्तकरण पारित करने से पूर्व अपीलान्ट्स को साक्ष्य सुनवायी का कोई समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है तथा सम्पूर्ण कार्यवाही राजस्व कर्मचारियों से साज कर तहसील कार्यालय में बैठकर सम्पादित की गयी है, इस प्रकार अपीलाधीन निर्णय प्राकृतिक न्याया के सिद्धान्त के विपरीत होने से भी निरस्तनीय है तथा अपीलाधीन आदेश जिसके परिपेक्ष्य में उपरोक्त नामान्तकरण तस्दीक किया गया है उसमें अंकित आराजीयात पर कभी भी आवंटी इनायत खां या उसकी मृत्यु के उपरान्त उसके विधिक वारिसान का ना ही क्रेता लाईका बानो का आज दिनांक तक उक्त आराजीयात पर कोई कब्जा काश्त नहीं है तथा आवंटित भूमि का ख0नं0 पृथक है तथा जो भूमि का अपीलाधीन आदेश पारित किया है उसके नम्बर पृथक है तथा लाईका बानो ने साज कर रोड के किनारे नक्शा ट्रेस में कीमती भूमि को हडपने की गरज से गलत तरमीम राजस्व कर्मचारियों से मिलकर करवा ली है जबकि वास्तविकता यह है कि इनायत खां का कब्जा उसके भाई को साथ हुये आवंटन की भूमि के पास है जिस पर इनायत खां द्वारा बनाये गये कूप [illegible] र लिये गये विद्युत कनेक्शन से इसकी पुष्टि होती है। इस प्रकार तहत न्याया[illegible] से पूर्व किसी प्रकार की कोई मौके कब्जे की जांच नहीं की है जबकि नामान्त[illegible] नियमों के मुताबिक खातेदारी अधिकार

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अति० जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

प्राप्त करने के लिए मौके कब्जे की जांच कर कब्जा होने की सूरत में ही खातेदार अधिकार प्रदान किये जा सकते है तथा मौके पर आज भी उक्त गलत तरमीमी शुदा भूमि पर जंगली पेड–पौधे जो 10–12 वर्ष के है मौके पर मौजूद है इससे स्पष्ट है कि आराजी ख0नं0 1569/19 पर खातेदार का कोई कब्जा नहीं है, इस कारण भी अपीलाधीन आदेश व उसकी पालना में खोला गया नामान्तकरण प्रारम्भ से शून्य आदेश के श्रेणी में आने से निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजीयात का रेस्पोडेन्ट्स के नाम नामान्तकरण संख्या 3269 दिनांक 05.08.2021 से प्राप्त हुई है। तहत न्यायालय ने इस पर कोई गोर नहीं किया कि रेस्पोडेन्ट्स को जो भूमि इनायत खां से प्राप्त हुई है उसका आराजी ख0नं0 19/1334 था। उक्त भूमि का आवंटन, आवंटन सलाहकार समिति की राय से उपखण्ड अधिकारी द्वारा आवंटन किया गया था तथा उसे मौके पर कब्ज ख0नं0 19/1334 का ही सम्भलाया गया था तो फिर किस आधार पर आराजीयात ख0नं0 1569/19 की तरमीम लाईका बानो ने हल्का पटवारी से करवायी है वह पूर्णतया गलत है क्योंकि जब कब्जा आवंटी को ख0नं0 19/1334 पर दिया गया है तो दूसरे ख0नं0 की तरमीम तथा राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन किस आधार पर किया गया है। यह एक आवश्यक जांच का विषय था जो तहत न्यायालय ने नहीं किया है। इसके अतिरिक्त और भी आराजीयात इनायत के भाई वगैरहा को आवंटन हुआ है वह भी दक्षिण दिशा की तरफ है तथा रेस्पोडेन्ट्स चालाक किस्म का व्यक्ति है उसके रोड की ओर आने के उद्देश्य से यह सम्पूर्ण कार्यवाही तरमीमी दुरूस्ती हल्का पटवारी से साज कर अपने नाम करायी गई है इस कारण आवंटन आदेश जो प्रारम्भ से शून्य है जो आवंटन रूल्स के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अपीलाधीन आदेश की जानकारी तहसील कार्यालय से हल्का पटवारी से अपीलान्ट के दिनांक 10.09.2024 को मिलने पर उनके द्वारा बताने पर हुई, इस पर दिनांक 10.09.2024 को नकल प्रार्थना पत्र पेश कर दिनांक 11.09.2024 को नकल प्राप्त की जानकारी से अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद प्रस्तुत है। वैसे भी अपीलाधीन आदेश प्रारम्भ से शून्य आदेश की श्रेणी में आता है शून्य आदेश से किसी भी पक्षकार को कोई हक व अधिकार हासिल नहीं होते है इस प्रकार के आदेश को एटएनीटाईम सक्षम न्यायालय में चुनौती देकर किसी भी वक्त रद्द करवाया जा सकता है। अतः अपील पेश करने में हुआ विलम्ब क्षम्य योग्य है। तहत न्यायालय द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करने से पूर्व किसी प्रकार की मौके कब्जे की जांच नहीं की तथा जहां रेस्पोडेन्ट आवंटी को आवंटन के पश्चात कब्जा दिया था वह भूमि मंजूर पुत्र भूर खां, हफीज पुत्र भूर खां के चरपेटवा है जिस पर आवंटी द्वारा कुआं खुदवा कर उसमें विद्युत कनेक्शन ले रखा है लेकिन आवंटी के वारिसान द्वारा तहसील कर्मचारियों से साज कर रोड के पास वाली भूमि पर खातेदारी प्राप्त कर उसकी तरमीम करवा ली है जो पूर्णतया लैण्ड रेवेन्यू एक्ट के प्रोविजनस् के विपरीत होने से निरस्तनीय है। आज दिनांक तक तरमीम शुदा आराजी को जो रोड के पास है पेड पौधे लगे हुये है। अतः अपीलान्ट की ओर से लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर तहत न्यायालय तहसीलदार खण्डार द्वारा पारित आदेश 19.01.2021 सन्दर्भित ख0नं0 1569/19 रकबा 2 बीघा तहसीलदार खण्डार एंव उक्त अपीलाधीन आदेश के परिपेक्ष्य में खोला गया नामान्तकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.21 आराजी ख0नं0 569/19 रकबा 2 बीघा स्थित ग्राम छान निरस्त किया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested

अति॰ जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पेरोकार सरकार द्वारा दौराने बहस निवेदन किया गया कि तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 19.01.2021 के परिपेक्ष्य में नामान्तकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.21 खोला गया है। जोकि नियमानुसार खोला गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने एवं अपीलाधीन आदेश एवं उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में खोले गये नामान्तकरण का अवलोकन करने के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहूँचा हूँ कि अपीलान्ट द्वारा पेश की गई अपील के संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 लिमिटेशन एक्ट मय शपथ पत्र के अनुसार अपीलान्ट को उक्त अपीलाधीन आदेश एवं उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में खोले गये नामान्तकरण की दिनांक 10.09.2024 को जानकारी होना बताया गया है तथा उक्त जानकारी से अन्दर मियाद अपील अपीलान्ट पेश की गई है। अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपीलान्ट द्वारा इनायत खां पुत्र नूर खां तथा उनके भाई मंजूर पुत्र नूर खां एवं हफीज पुत्र भूरे खां समस्त निवासीयान छान को आवंटन सलाहकार समिति द्वारा किये गये आवंटन आदेश की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार इनायत खां, उनके भाई मंजूर खां तथा हफीज को ख0नं0 19/1334 में भूमियां आवंटित की गई है किन्तु तहसीलदार खण्डार द्वारा आदेश दिनांक 19.01.21 के द्वारा इनायत खां के वारिसान को ख0नं0 1569/19 गैर खातेदारी से खातेदारी की गई है तथा उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में नामान्तकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.21 के द्वारा ख0नं0 569/19 का खातेदारी का नामान्तकरण खोला गया है। इस प्रकार रेस्पो0 को आवंटित भूमि का ख0नं0, तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 19.01.21 के द्वारा गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज की गई भूमि का ख0नं0 तथा उक्त आदेश दिनांक 19.01.21 के परिप्रेक्ष्य में खोले गये नामान्तकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.21 के ख0नं0 पृथक–पृथक है। अतः तहसीलदार खण्डार के आदेश दिनांक 19.01.2021 तथा उक्त आदेश दिनांक 19.01.2021 के परिप्रेक्ष्य में खोला गया नामान्तकरण संख्या 3230 दिनांक 23.02.21 निरस्त किया जाता है तथा पत्रावली तहसीलदार खण्डार को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि रेस्पोडेन्ट्स को आवंटित ख0नं0 19/1334 के संबंध में मौके पर जाकर मौका स्थिति के संबंध में जांच कर दोनो पक्षों को सुनकर प्रकरण का निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(संजय शर्मा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Sharma
Date: 2026.05.12 16:11:24 IST
Reason: SelfAttested